प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कुल लम्बाई 26 कि०मी०

वन अधिनीयम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बिल्ला

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

<u>अनापत्ति प्रमाण – पत्र</u>

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु 2.462 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट (उत्तरकांशी) के पक्ष में भरत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय ग्राम पंचायत...बिल्ला........ द्वारा दिनांक 02/02/2024को सम्मपन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण प्रत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनीयम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारो का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिल्ला.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकांशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० /–

ग्राम सचिव

प्रधान
ग्राम पंचायत मंजियाली
वि०ख०-नौगांव (उत्तरकाशी)

ह० /–

ग्राम प्रधान

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है,तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा है।

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 02/02/2024 के ग्राम सभा की सम्मपन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – [illegible]

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दिवान सिंह S/o जुद्धवीर सिंह	दिवान सिंह
2	सुजान सिंह S/o साब सिंह	सुजान सिंह
3	दर्शन लाल S/o खच्चरी दितलू	Darshan
4	चैन सिंह S/o सुरत सिंह	[illegible]
5	रवजान सिंह S/o लाल सिंह	रवजान सिंह
6	चैतराम S/o बुला राम	चैतराम
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ह0/- ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत मंजियाली
वि0ख0 नौगाँव (उत्तरकाशी)

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कुल लम्बाई 26 कि०मी०

वन अधिनीयम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बडोगी

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु 7.563 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट (उत्तरकांशी) के पक्ष में भरत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय ग्राम पंचायत बडोगी द्वारा दिनांक 20/12/2023 को सम्मपन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण प्रत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनीयम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारो का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बडोगी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकांशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत – रिखाऊं

ह० /– ह० /–

ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है,तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा है।

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 20/12/2023 के ग्राम सभा की सम्मपन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – बडोगी

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मुकेश सिंह S/o जयेन्द्र सिंह	Mukesh
2	किशन सिंह S/o भगटू सिंह	किशन
3	सुनील सिंह S/o कुंवर सिंह	Sunil
4	रोशन सिंह S/o जगत सिंह	रोशन
5	जगमोहन सिंह S/o अमर सिंह	JSCh
6	राजेन्द्र सिंह S/o बचन सिंह	R.A.
7	मिजान सिंह S/o ध्यान सिंह	मिजान सिंह
8	सुलतान सिंह S/o नारायण सिंह	सुलतान सिंह चौहान
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

प्रधान ग्राम पंचायत –

ह०/– ग्राम प्रधान

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कुल लम्बाई 26 कि०मी०

वन अधिनीयम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – सौली

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु 0.597 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट (उत्तरकांशी) के पक्ष में भरत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय ग्राम पंचायत....सौली.......... द्वारा दिनांक 18-12-2023 को सम्मपन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण प्रत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनीयम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारो का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौली....... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकांशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

श्याम लाल
सभासद वार्ड न0–7 मुलाणा
नगर पंचायत नौगाँव (उत्तरकाशी)

ह० /–

ग्राम सचिव

ह० /–

ग्राम प्रधान

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है,तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा है।

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 18/12/2023 के ग्राम सभा की सम्मपन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – सौली

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रतापसिंह	[illegible]
2	दीपक राणा	[illegible]
3	बैनी लाल	बैनी लाल
4	कुलदीप	Kuldeep
5	परेश	[illegible]
6	शंकर	[illegible]
7	सुशील राणा	Sushil
8	विघालाल	विघालाल
9	नरेश कुमार	नरेश कुमार
10	मोतीराम	[illegible]
11	रामलाल	रामलाल
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ह०/– ग्राम प्रधान

रूपामलाल

प्रधान सौलि

सभासद वार्ड नं0–7 पुरोला

नगर पंचायत नौगाँव (उत्तरकाशी)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :–जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) धातरी खड्ड से मुराडी गाव कि०मी० 75.00 से 101.00 तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लम्बाई 26.00 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट.........

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...

'उपखण्ड ....परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (123) 507 कि०मी० 75–101 (आरक्षित वन भूमि 0.900 हे0 रेंज मुंगरसन्ती रेंज नौगांव, सिविल एवं सोयम वन भूमि 30.960 हे0, वन पंचायत भूमि —.........हे0), अर्थात कुल 31.860 ....हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु ~~अनुसूचित जनजाति~~ और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट.........) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देव मूर्ति यादव ....उपजिलाधिकारी ....बड़कोट..........अध्यक्ष 20-12-2014

2– श्री जी.पी. राठौर ....उप प्रमागीय वनाधिकारी..........बड़कोट.......... सदस्य

3– श्री [illegible] ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी ....नौगांव..सदस्य / सचिव

4– श्री ....बी0डी0सी0 क्षेत्र ....सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग (123) 507 कि०मी० 75–101 ....परियोजना हेतु 31.860 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट......प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमागीय वनाधिकारी, ...द्वारा ~~अनुसूचित जनजाति~~ एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत .... परियोजना के निर्माण हेतु 31.860 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

120

Annexure-1

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project- NH N. 123 (New 507) Harbatpur to Barkot Band Motor Road.

No...37............... Dated 27-12-14

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **31.860** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **NH Barkot** for Construction of **NH N. 123 (New 507) Harbatpur to Barkot Band Km. 75.00 to 101 (Thatri Khad to Naugaon)** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Naugaon** village in **Barkot** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **31.860** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(C.Ravishankar)
District Magistrate,
Uttarkashi.

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **31.860** hect for the construction of **NH 123 (New 507) Harbatpur to Barkot Band Km 75.00 to 101 (Thatri Khad to Naugaon)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Barkot sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated:..27-12-14

(C. Ravishankar)
District Magistrate cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi.

(84)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय मार्ग - 123 (507) धरासू बड़कोट सुराड़ी गाँव कि0मी0 75.00 से 101.00 दो लेन चौड़ीकरण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रिखाऊ

तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लैन चौड़ीकरण परियोजना .... सिविल सोयम के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि NILL हे0 रेंज .... हे0) अर्थात कुल 11.127 हे0 वन भूमि का भूमि 11.127 हे0, वन पंचायत भूमि .... हे0) अर्थात कुल 11.127 हे0 वन भूमि का रा0रा0 मार्ग (123) लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिखाऊ द्वारा दिनांक............को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रिखाऊ खेड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा0रा0 मार्ग लो0नि0वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत
विकास खण्ड नौगाँव (उ0का0)

ह0/ प्रधान ग्राम पंचायत रिखाऊ
विकास खण्ड नौगाँव (उत्तरकाशी)
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(85)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11/10/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रिखाऊ

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1) -	अमर सिंह पंवार S/o स्व० श्री गुलाब सिंह	[illegible]
(2) -	राजेन्द्र सिंह पंवार S/o श्री मैयर सिंह	[illegible]
(3) -	अतर सिंह राणा S/o श्री [illegible] राम	अतर सिंह
(4) -	विरेन्द्र सिंह पंवार S/o श्री कमल सिंह	[illegible]
(5) -	अमर सिंह S/o [illegible] राम	अमर सिंह
(6) -	बचन सिंह पंवार S/o स्व० [illegible] सिंह	[illegible]
(7) -	विजेन्द्र सिंह पंवार S/o स्व० श्री [illegible] राम	विजेन्द्र सिंह
(8) -	कुंवर सिंह पंवार S/o स्व० श्री इन्द्र सिंह	[illegible]
(9) -	सुरत सिंह पंवार S/o स्व० श्री लक्ष्मी राम	सुरत सिंह
(10) -	महावीर सिंह S/o स्व० श्री सुरत सिंह	[illegible]
(11) -	अमर सिंह पंवार S/o स्व० श्री गुलाब सिंह	अमर सिंह
(12) -	[illegible] सिंह पंवार S/o स्व० श्री धरम सिंह	[illegible] सिंह
(13) -	चमन सिंह पंवार S/o स्व० श्री धरम सिंह	Chaman [illegible]
(14) -	शकुन्तला पंवार S/o स्व० श्री बचन सिंह पंवार	[illegible]
(15) -	अरुण पंवार S/o स्व० श्री सरोप सिंह पंवार	अरुण
(16) -	मुकेश पंवार S/o स्व० श्री बचन सिंह पंवार	[illegible]
(17) -	तोता सिंह पंवार S/o स्व० श्री सीता राम	तोता सिंह
(18) -	प्रतिमा देवी W/o स्व० श्री प्रेम सिंह	[illegible]
(19) -	जयवीर सिंह S/o स्व० श्री किंकर सिंह	विजेन्द्र सिंह
(20) -	कमल सिंह S/o स्व० श्री [illegible] सिंह	कमल सिंह

ह०/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत रिखाऊ
धारा देवी
ह०
दि०
विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) भटरी बड़कोट से मुराड़ी गांव कि०मी० 75-00 से 101 तक के दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि (लम्बाई 26.00 कि०मी०) हस्तान्तरण प्रस्ताव।)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....कण्सारी....

तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लेन चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि NILL हे0 रेंज............... सिविल सोयम भूमि 1.199 हे0, वन पंचायत भूमि NILL हे0) अर्थात कुल 1.199 हे0 वन भूमि का रा०रा०मार्ग लो०नि०वि० बड़कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कण्सारी द्वारा दिनांक.................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कण्सारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०रा० मार्ग लो०नि०वि० बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम कण्सारी
ग्राम सचिव

ह0 ग्राम प्रधान
(ग्राम पंचायत कण्सारी, विकास खण्ड - नौगांव (उत्तरकाशी))

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(87)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11/14/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कंडारी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेश गौड़ S/श्री तुलाराम गौड़ कण्डारी	[illegible]
2	श्री सुमारी गौड़ श्री/श्री चन्द गौड़ कण्डारी	[illegible]
3	श्री सुरेन्द्र दत्त गौड़ S/श्री [illegible] कण्डारी	[illegible]
4	श्री श्यामलाल गौड़ S/श्री सियाराम	
5	श्री बचनदास S/श्री सन्तदास	[illegible]
6	कमलकिन गौड़	[illegible]
7	रामप्रसाद	राम प्रसाद
8	बृजमोहन	[illegible]
9	तोताराम	तोता राम
10	राधानन्द	[illegible]
11	परमालाल	परमालाल
12	शक्ति	शक्ति
13	झालरू	दिवानसिंह
14	दिवानदास	दिवानदास
15	भुन्नुदास	भुन्ना लाल
16	तोताराम	तोताराम

प्रधान ग्राम पंचायत कंडारी
ह० /-
ग्राम प्रधान
विकास खण्ड - नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) धातरी खड्ड से मुराडी गांव कि०मी० 75.00 से 101.00 तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन लम्बाई 26.00 कि०मी० भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खमुण्डी

तहसील बडकोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लेन चौडीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि Nil है0 रेंज .... सिविल सोयम भूमि 0.821 है0, वन पंचायत भूमि Nil है0) अर्थात कुल 0.821 है0 वन भूमि का रा० राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि० बडकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खमुण्डी द्वारा दिनांक 30-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खमुण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा० रा० मार्ग खण्ड लो०नि०वि० बडकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
(ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, खमुण्डी मल्ली)

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 30-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खमुण्डी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रमेश प्रसाद नौटियाल खमुण्डीमल्ली	रमेश नौटियाल
(2)	बुटाराम नौटियाल	Butiyal
(3)	दिनेश नौटियाल	[illegible]
(4)	प्रदीप नौटियाल	[illegible]
(5)	सुरेन्द्र चौहान	सुरेन्द्र
(6)	लोकेन्द्र सेमवाल	[illegible]
7-	सुरेन्द्र राणा	सुरेन्द्रसिंह राणा
8-	महेन्द्र नौटियाल	Nautiyal
9	सुरेन्द्रसिंह राणा	
10	मनोज नौटियाल (वन सरपंच) प्र.प.	Nautiyal
11-	गजेन्द्र दत्त नौटियाल	Gajadatt
12-	जोरा शाह	[illegible]
13		
14		
15		
16		

प्रधान ग्राम पंचायत खमुण्डीमल्ली ह0 ....

ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) धासरी बैंड से मुराड़ी गांव कि०मी० 75.00 से 101.00 तक के लेन चौड़ीकरण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 26.00 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड ....परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) कि०मी० 75.00-101.00 (आरक्षित वन भूमि Nill हे० रेंज .... , सिविल एवं सोयम वन भूमि 13.147 हे0, वन पंचायत भूमि Nill हे0), अर्थात कुल 13.147 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री श्री [illegible] यादव ....उपजिलाधिकारी बड़कोट ....अध्यक्ष
2– श्री [illegible] ....उप प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट ....सदस्य
3– श्री [illegible] ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव ....सदस्य/सचिव
4– श्रीमती राजेश्वरी देवी ....बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] ....सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) कि०मी० 75.00 से 101.00 ....परियोजना हेतु....................हे0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(91)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123(80?) परियोजना के निर्माण हेतु 13.147 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

(92)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) धरासू बड़कोट के कुथाड़ी गांव कि०मी० 75-00 से 101 तक के [struck through] दो लेन-चौड़ीकरण हेतु वन-भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव! (लम्बाई कि०मी० 26-00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिंगुणी

तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लेन-चौड़ीकरण परियोजना सिविल सोयम के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि NILL हे0 रेंज ...... भूमि 6.313 हे0, वन पंचायत भूमि NILL हे0) अर्थात कुल 6.313 हे0 वन भूमि का रा०रा०मार्ग लो०नि०वि०बड़कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिंगुणी द्वारा दिनांक 12-11-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिंगुणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०रा०मार्ग लो०नि०वि० बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पं० ... (उत्तरकाशी))

ह0/– ग्राम प्रधान (प्रधान ग्राम पंचायत सिंगुणी, विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी))

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1 (93)

दिनांक 12/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिंयुणी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
	अजब सिंह	अजब सिंह
		[illegible]
	भवान सिंह	भवान सिंह
	वीरम सिंह	[illegible]
	प्रताप सिंह	प्रताप [illegible]
	अमर सिंह	अमर सिंह
	बरफ सिंह	बरफ सिंह
	परम सिंह	परम सिंह
	चतर सिंह	चतर सिंह
	डुकम सिंह	डुकम सिंह
	प्रदीप सिंह	[illegible]
	कुँवर सिंह	[illegible]
	बलवीर सिंह	[illegible]
	दिवान	दिवान
	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
	सुरत सिंह	सुरत सिंह
	सुनील सिंह	सुनील
	चन्द्रमोहन सिंह	चन्द्रमोहन

लाखीराम सिंह — लाखी राम

प्रेम सिंह — प्रेमसिंह

ajaypal

ह0/–

ग्राम प्रधान

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत सिंयुणी, ह0 रणवीर सिंह, विकास खण्ड ... (उत्तराखण्ड))

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :— जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) भाली पिड्डा से कुथड़ी गांव कि0मी0 75.00 से 101 तक के डी लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पिपिम्यारा

तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत डी लेन चौडीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि Nill हे0 रेंज..............., सिविल सोयम भूमि 1.848 हे0, वन पंचायत भूमि Nill हे0) अर्थात कुल 1.848 हे0 वन भूमि का रा0 रा0 मार्ग लो0नि0वि0 बड़कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पिपिम्यारा द्वारा दिनांक..................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पिपिम्यारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा0 रा0 मार्ग लो0नि0वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(मोहर: प्रधान ग्राम पंचायत पिपियारा, विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी))

ह0/–
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(45)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 5-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~[illegible]~~ (फिफियार)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	सूरत सिंह रावत	सूरत सिंह
(2)	राम सिंह रावत	[signature] Rawat
(3)	जयवीर सिंह रावत	जयवीर सिंह
(4)	कृपाल सिंह रावत	[signature]
(5)	भरतसिंह रावत	B. S. Rawat
(6)	देवेन्द्र सिंह रावत	देवेन्द्र सिंह
(7)	राम दास	रामदास
(8)	राजेन्द्र सिंह रावत	R. Rawat
(9)	[illegible] (रावत)	[signature]
(10)	बचनसिंह रावत	बचनसिंह
11	चैनसिंह रावत	Chain [signature]
12-	नारायणसिंह रावत	[signature]
(13)	सरदारसिंह रावत	[signature]
14	भूरदास	भूरदास
15	जगमोहन रावत	[signature]
16	रविन्द्र रावत	Rawat [signature]
17	दिनेश रावत	Dinesh
18	[illegible] देवी	[signature]

प्रधान ग्राम पंचायत फिफियारा
ह0 [signature]
दि0.......
विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

ह0/–
ग्राम प्रधान

(98)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) भातरी खड्ड से मुराड़ी गांव कि0मी0 75.00 से 101.00 किमी तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड ....परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) कि0मी0 75.00 से 101.00 तक (आरक्षित वन भूमि Nil हे0 रेंज Nil, सिविल एवं सोयम वन भूमि 8.161 हे0, वन पंचायत भूमि Nil हे0), अर्थात कुल 8.161 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देव मूर्ति यादव ....उपजिलाधिकारी बड़कोट ....अध्यक्ष
2– श्री डी0 पी0 सिंह ....उप प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट .... सदस्य
3– श्री [illegible] ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] .... सदस्य / सचिव
4– श्री मुरादास ....बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सिंगुणी .... सदस्य

क्षेत्र पंचायत सदस्य सिंगुणी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) कि0मी0 75.00 से 101.00 तक ....परियोजना हेतु....................हे0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(97)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123(बर्ड) परियोजना के निर्माण हेतु 8.161 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

(98)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) चामरी खड्ड से गुराड़ी गांव कि०मी० 75.00 से 101.00 तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई - 26.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुवा

तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लेन चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि .... है0 रेंज........, सिविल सोयम भूमि 0.800 है0, वन पंचायत भूमि ....है0) अर्थात कुल 0.800 है0 वन भूमि का [illegible] विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुवा द्वारा दिनांक........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुवा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि [illegible] हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम पं0 वि0 अधिकारी, ग्राम पंचायत कुवा, वि0ख0 नौगाँव (उ0का0)
ग्राम सचिव

ह0/– ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(94)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 13/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुंवा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जमसिंह	जमसिंह
2	जगतराम	जगतराम
3	टिकाराम	टिकाराम
4	सुरपाल	[illegible]
5	लालीराम	लालीराम
6	भगतदास	भगतदास
7	अतरसिंह	अतरसिंह
8	कंचनसिंह	[illegible]
9	राजवीर सिंह	राजवीर
10	जीतसिंह	जीतसिंह
11	बुद्धीसिंह	बुद्धीसिंह
12	फुलक सिंह	फुलक सिंह
13	किशनसिंह	किशन सिंह
	ओमपाल	ओमपाल

प्रधान ग्राम पंचायत कुंवा
ह0/-
ग्राम प्रधान
विकासखण्ड–नौगांव(उत्तरकाशी)

100

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) नालूपानी रोड से मुराड़ी गांव के कि०मी० 75.00 से 101 तक के दो लेन–चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जरड़ा

तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लेन चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि Nill हे0 रेंज ——, सिविल सोयम भूमि 3.674 हे0, वन पंचायत भूमि Nill हे0) अर्थात कुल 3.674 हे0 वन भूमि का रा0मार्ग खण्ड लो0नि0 वि0 बड़कोट / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जरड़ा द्वारा दिनांक........................को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जरड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा0मार्ग खण्ड लो0नि0 वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पं0 वि0 अधिकारी
ह0 / – ग्राम पंचायत जरड़ा
ग्राम सचिव वि0ख0 नौगाँव (उ0का0)

प्रधान ग्राम पंचायत जरड़ा
ह0 प्रमिला
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 16/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जरड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
2.	शूरवीर सिंह	शूरवीर सिंह
3.	सरदार सिंह	सरदार सिंह
4.	मनमोहन सिंह	मनमोहन सिंह
5.	दीवान सिंह	दीवान सिंह
6.	मदन सिंह	मदन सिंह
7.	चैन सिंह	चैन सिंह
8.	जय सिंह	जयसिंह
9.	रतन सिंह	रतनसिंह
10	धनवीर	धनवीर
10.	जीतेन्द्र सिंह	जेन्द्रसिंह
12	रणवीर सिंह	रणवीरसिंह

प्रधान ग्राम पंचायत जरड़ा

ह० प्रमिला
ग्राम प्रधान

(102)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) बारनी बड़ से कुरपी गांव तक 75.00 से 101.00 तक के दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन-भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड ....परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) कि० 75.00 से 101.00 तक (आरक्षित वन भूमि.........हे0 रैंज ...., सिविल एवं सोयम वन भूमि 4.474 हे0, वन पंचायत भूमि ....हे0), अर्थात कुल 4.474 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देवमूर्ति यादव ....उपजिलाधिकारी बड़कोट ....अध्यक्ष

2– श्री पी० पी० सिंह ....उप प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट .... सदस्य

3– श्री [illegible] ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव ....सदस्य

4– श्रीमती [illegible] ....बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत [illegible] ....सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) कि०मी० ....परियोजना हेतु..................हे0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(103)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ......बड़कोट...... परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) ......परियोजना के निर्माण हेतु ..4.474.. हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–......बड़कोट......
जनपद ......उत्तरकाशी......

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...उत्तरकाशी...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–......बड़कोट......
जनपद......उत्तरकाशी......

(104)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग-123(507) धारी कलड़ से मुसाड़ी गांव। कि०मी० 75.00 से 101.00 तक के दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धारी कुल्ली

तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लेन चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 0.900 हे0 रेंज मुगरसन्ती, सिविल सोयम भूमि 3.284 हे0, वन पंचायत भूमि Nil हे0) अर्थात कुल 4.184 हे0 वन भूमि का रा0मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारीकुल्ली द्वारा दिनांक.................... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारी कल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा0मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0/– धारी कल्ली
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड नौगांव /उ0का0
ग्राम सचिव

ह0 ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत धारी कल्ली
ह0 कलीराम
खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(105)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 26/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारीकलाओ...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्यामलाल	श्यामलाल
2	मनोज	[illegible]
3	बैणीलाल	बैणीलाल
4	राकेश जैन	[illegible]
5	दर्शनलाल	Darshan
6	विद्यालाल	
7	श्रीमति विमला	श्री मती
8	प्रताप	
9	नरेश	Naresh
10	सुनीलराणा	Sunil Rana
11	मीमु देवी	[illegible]
12	दिपकराणा	
13	विरेन्द्र सिंह चौहान	विरेन्द्र सिंह चौहान
14	सुशीलराणा	[illegible]
15	सुनील राणा	सुनील राणा
16	दीपक राणा	[illegible]
17	अरविन्द	Arvind
18	आत्माराम	[illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान, ग्राम पंचायत धारी कलौगी, ह0 [illegible], दि0 ...., विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

106

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) नालटी पुल से मुराडी गांव कि०मी० 75.00 से तक के डबल लेन-चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड ....परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) 75.00 से 101.00 तक (आरक्षित वन भूमि ......हे0 रेंज मुंगरसन्ती ......, सिविल एवं सोयम वन भूमि 4.184 हे0, वन पंचायत भूमि ....हे0), अर्थात कुल 4.184 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देव आर्य साहब ....उपजिलाधिकारी ......बड़कोट......अध्यक्ष

2– श्री डी०पी० सिंह ....उप प्रभागीय वनाधिकारी......बड़कोट...... सदस्य

3– श्री [illegible] ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी ......नौगांव...... सदस्य सचिव

4– श्री मती रीता चन्द ....बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत किम्मी ...... सदस्य

क्षेत्र पंचायत किम्मी नौगांव(उ0का0)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) 75.00 से 101.00 तक ......परियोजना हेतु......हे0 वन भूमि ......प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

107

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ......बड़कोट...... परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) ...... परियोजना के निर्माण हेतु 4.184 हे० वन भूमि ...... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ......
जनपद ......उत्तरकाशी......

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...उत्तरकाशी...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ......बड़कोट......
जनपद ......उत्तरकाशी......

(108)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) भाटरी (बड़कोट) से मुराड़ी गांव कि०मी० 75.00 से 101.00 तक दो लेन-चौड़ीकरण हेतु वन-भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....नौगांव....

तहसील ....बड़कोट...., जिला ....उत्तरकाशी....

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ....उत्तरकाशी.... के अन्तर्गत ....दो लेन चौड़ीकरण.... परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि ....nill.... हे0 रैंज ....Nill...., सिविल सोयम भूमि 0.376 हे0, वन पंचायत भूमि ....Nill.... हे0) अर्थात कुल 0.376 हे0 वन भूमि का रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....नौगांव.... द्वारा दिनांक........................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....नौगांव.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नौगाँव
विकास खण्ड नौगाँव /उ0का0
(ग्राम सचिव)

प्रधान ग्राम पंचायत नौगांव, विकास खण्ड-नौगांव (उत्तरकाशी) ह0 21/1/20
ह0/-
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाए।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 25/10/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नौगांव

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	बिजय रवत नौगाव	[signature]
2.	जगतार सिंह S/O अमर सिंह	जगतार सिंह
3.	काश्मीर सिंह S/O पर्मैला सिंह	कश्मीर सिंह
4-	गौरव S/O जगतार सिंह	[signature]
5-	रणबीर सिंह रावत S/O दलीप सिंह	रणबीर
6-	जयपाल सिंह S/O बालक सिंह	[signature]
7-	जोगेन्द्र सिंह रावत S/O [illegible]	[signature]
8	राम [illegible] [illegible]	[signature]
9	लोकेश चन्द्र बडोनी	[signature]
10	बचनलाल	बचन [illegible]
11	दीपक लाल	[signature]
12	बचन सिंह	बचन सिंह
13	श्यामा देवी	श्यामा देवी
14	रविन्द्र सिंह	[signature]
15	शोभन सिंह	शोभन सिंह
15	श्याम सिंह	[signature]
16	सोबन रावत	शोबन रावत
18	बचन रावत	[signature]
19	गुरमेर सिंह	गुरमेर
20	राजू लाल	राजू लाल
21	आनन्द सिंह	

अभय कुमार – [signature]

[signature]

ह0 / ग्राम प्रधान

(Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत नौगांव, विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी))

(110)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) नालुपानी (बड़कोट) से मुरारी गांव कि०मी० 75.00 से 101.00 तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई–26.00 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) कि०मी० 75.00 से 101.00 तक (आरक्षित वन भूमि ——— हे0 रेंज ——— , सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.376 हे0, वन पंचायत भूमि ——— हे0), अर्थात कुल 0.376 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण .... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देवमूर्ति यादव उपजिलाधिकारी बड़कोट अध्यक्ष 20-12-2014
2– श्री सी०पी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट सदस्य
3– श्री .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव सदस्य/सचिव
4– श्री सोबेन्द्र रावत बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत नौगांव सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) 75.00 से 101.00 परियोजना हेतु .... हे0 वन भूमि .... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(111)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) परियोजना के निर्माण हेतु 0.376 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

(112)

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— ~~सर्वीय सम्मार्ग~~ जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) भटरी व्हड़ से मुराड़ी गांव कि०मी० 75.00 से 101.00 तक दो लेन–चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मुंगरा

तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लेन चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि NILL हे0 रेंज........................., सिविल सोयम भूमि 0.623 हे0, वन पंचायत भूमि NILL हे0) अर्थात कुल 0.623 हे0 वन भूमि का रा0 रा0 मार्ग लो0नि0वि0 आवेदक/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मुंगरा द्वारा दिनांक.....................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुंगरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा0रा0 मार्ग लो0नि0 वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ [signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मुंगरा

ह0/ [signature]
ग्राम प्रधान

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(113)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 24/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मुंगरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	उपेन्द्र सिंह भण्डारी S/O [illegible] सिंह	[signature]
2.	सुरेश परमार S/O जोगसिंह	[signature]
3-	मनमोहन परमार S/O [illegible] सिंह	[signature]
4-	[illegible] सिंह [illegible] सिंह	[signature]
5	[illegible] मोहन परमार	[signature]
6	प्रेमानन्द	[signature]
8	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
9	जोगसिंह	[signature]
10	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
11	मूलचन्द	[signature]
12	धर्मि[illegible]सिंह	[signature]
13	विनोद सिंह	[signature]
14	[illegible]	[signature]
15	अजपाल	[signature]
16	[illegible] सिंह	[signature]
17	कर्मसिंह	करमसिंह
18	हरिमोहन सिंह	[signature]
19	[illegible] सिंह	[signature]
20	महेन्द्र सिंह	[signature]
21	[illegible] मोहन [illegible]	[signature]

[signature]

ह०/–

ग्राम प्रधान

[stamp]

(114)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) भातरी (?) से मुराड़ी गांव कि०मी० 75.00 से 101.00 तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मुराड़ी

तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लेन चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि NILL हे0 रेंज........................, सिविल सोयम भूमि 0.895 हे0, वन पंचायत भूमि NILL हे0) अर्थात कुल 0.895 हे0 वन भूमि का रा0रा0मार्ग लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मुराड़ी द्वारा दिनांक......................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुराड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा0रा0मार्ग लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत मुराड़ी
बीना रमोला
विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी)

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(115)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 20/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ......मुराड़ी..........

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जगमोहन सिंह [illegible]	[signature]
2.	बालमीकि लाल	[signature]
3-	चिरंजीलाल	चिरंजीलाल
4-	प्रवीन चन्द	[signature]
5-	प्यारे लाल	[signature]
6-	विजय	[signature]
7-	कृष्ण मोहन चन्द (मोला)	
8-	सोहन लाल	[signature]
9.	प्रेम लाल	[signature] प्रेमलाल
10-	सुशील राना	[signature]
11	राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र [illegible]
12	[illegible] लाल	[signature]
13	आम चन्द	[signature]
14	रतन चन्द	रतन चन्द
15	[illegible] चन्द	
16	चिन्तामणी	चिन्तामणी
17	अमित प्रसाद	Amit
18	प्यारे लाल	प्यारेलाल
19	प्रमोद सिंह	[signature]

ह0/–
ग्राम प्रधान

[stamp: प्रधान ह0 [signature] दि0 ... ग्राम पंचायत ...]

116

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) बर्नीगाड़ से मुराड़ी मध्य कि०मी० 75.00 से 101.00 तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (लम्बाई 26.00 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ...बड़कोट...

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड ...बड़कोट... परिक्षेत्र के अन्तर्गत ...राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) कि०मी० 75.00 से 101.00 तक... (आरक्षित वन भूमि......हे0 रेंज .... , सिविल एवं सोयम वन भूमि ...1.512...हे0, वन पंचायत भूमि ....हे0), अर्थात कुल ...1.512...हे0 वन भूमि का ...हस्तान्तरण... ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ...बड़कोट...) की दिनांक ...20/12/2014...को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ...[handwritten name]... उपजिलाधिकारी ...बड़कोट... अध्यक्ष
2– श्री ...[handwritten name]... उप प्रभागीय वनाधिकारी ...बड़कोट... सदस्य
3– श्री ...[handwritten name]... सहायक समाज कल्याण अधिकारी ...नौगांव... सदस्य/सचिव
4– श्री ...[handwritten name]... बी0डी0सी0 क्षेत्र ...पंचायत मुराड़ी... सदस्य

क्षेत्र पंचायत मुराडी
विकास खण्ड नौगाँव (उ0का0)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि...राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) कि०मी० 75.00 से 101.00 तक...परियोजना हेतु......हे0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) परियोजना के निर्माण हेतु 1.517 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी